संख्या 74/IV-XI/189-व0ग्रा0वि0/2001

प्रेषक,

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
वन एवं ग्राम्य विकास शाखा,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तरांचल

वन एवं ग्राम्य विकास शाखा देहरादून : दिनांक जून 03, 2002

विषयः उत्तरांचल में बायफ केन्द्रों के संचालन हेतु वित्त पोषण.

महोदय,

विशेष परियोजनाओं की परियोजना प्रबन्धन इकाई की बैठक दिनांक 29.4.2002 के कार्यवृत्त के प्रस्तर/बिन्दु–4 पर लिये गये निर्णय के क्रम मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अवस्थापना मद से शहरों/कस्बों के निकटस्थ ग्रामों में स्वयं सहायता समूहों/उनके सदस्यों द्वारा फल, सब्जी उत्पादन, नर्सरी तथा फूलों की खेती सुचारू रूप से बारहों महीने कर सकने हेतु पोली हाउसों की स्थापना तथा बायफ केन्द्रों के संचालन के लिये वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाय.

यह भी देखा जाय कि वित्तीय वर्ष 2002–03 में प्रत्येक जनपद में प्राथमिकता के आधार पर मिल्क रूटों पर कम से कम दस बायफ केन्द्र अवश्य संचालित हो जांय, जिन जनपदों में अवस्थापना मद में धनराशि कम हो या जो और अधिक बायफ केन्द्रों की स्थापना करना चाहते हो, वे इसके लिये विशेष परियोजना तैयार करके शासन को तत्काल भेजें और अनुसरण करके शासन से उसे भारत सरकार को संस्तुति सहित भिजवायें तथा भारत सरकार स्तर से

उसकी शीघ्र स्वीकृति करवाकर अधिकाधिक बायफ केन्द्रों का संचालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय

(डा. आर.एस. टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

संख्या 74 (1)/IV-XI/189–व.ग्रा.वि./2001 तद् दिनांक
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं निदेशक आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. समस्त परियोजनाधिकारी, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तरांचल.
2. राज्य समन्वयक, बायफ, उत्तरांचल, देहरादून.
3. अपर मुख्य कार्यक्रम संयोजक, बायफ सर्किल कार्यालय, कानपुर.
4. वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बायफ, कार्यालय दिल्ली.
5. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तरांचल पशुलोक/गोपेश्वर.
6. निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तरांचल, हल्द्वानी/देहरादून.
7. अपर सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तरांचल शासन.
8. अपर आयुक्त ग्राम्य विकास निदेशालय, पौड़ी.
9. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तरांचल शासन.
10. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तरांचल शासन.

आज्ञा से

(अनिल कुमार शर्मा)
अपर सचिव